संवर्ग का परिवर्तन

(i) *''उपभोक्ता का संवर्ग''* से टैरिफ अनुसूची अभिप्रेत है, जिसके अधीन उपभोक्ता को आयोग से नवीनतम प्रयोज्य टैरिफ आदेश के अनुसार बिल दिया जाता है।

आवेदक एक टैरिफ दर अनुसूची से दूसरे में संवर्ग के परिवर्तन के लिए संलग्नक 4.13 में विहित प्ररूप पर आवेदन करेगा।

(ii) यदि नये संवर्ग की स्वीकृति की अनुमति प्रवर्तनीय विधि के अधीन नहीं दी जाती, तो अनुज्ञप्तिधारी आवेदन की स्वीकृति की तारीख से 15 दिनों के भीतर उपभोक्ता को सूचित करेगा।

(iii) अनुज्ञप्तिधारी सत्यापित करने के लिए परिसर का निरीक्षण करेगा और आवेदन की स्वीकृति की तारीख से 10 कार्य दिवस के भीतर संवर्ग का परिवर्तन करेगा।

(iv) संवर्ग का परिवर्तन अगले बिल के चक्र से प्रभावी होगा।

(v) ऊर्जा के अप्राधिकृत प्रयोग का कोई मामला अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बुक नहीं किया जायेगा, यदि उपभोक्ता के संवर्ग के परिवर्तन के लिए आवेदन करने के बाद पता चलता है और परिवर्तन विधित: अनुज्ञेय है।

(vi) उपभोक्ता के आवेदन को नया आवेदन माना जायेगा और तद्नुसार वह प्रशंसकरण फीस, नई अतिरिक्त प्रतिभूति, यदि कोई हो, निक्षेप करेगा और अनुपूरक करार निष्पादित करेगा, जहां कहीं आवश्यक हो।